

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक: एफ14( )2016/एफसीए/प्रमुवसं/ 1302

दिनांक: 3 6/20

शासन सचिव  
वन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

**विषय:-**डाईवर्जन ऑफ 2.76 है0 फोरेस्ट लैण्ड इन फेवर ऑफ पीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई डब्ल्यूबी डिवीजन शाहपुरा (भीलवाड़ा) फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ एसएच-29 किमी. 139/500 टू लोरदा रोड अन्डर राजस्थान रोड सेक्टर मोडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। (Proposal No. FP/RJ/ROAD/20888/2018)

**संदर्भ:-**भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ कार्यालय का पत्र सं. 8 वी/राज/06/14/ 2018/एफसी/553 दिनांक 27.12.18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के साथ अधिरोपित की गई शर्तों की पालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, अजमेर ने अपने पत्रांक 5728 दिनांक 17.07.19 एवं पुनः पत्रांक 2115 दिनांक 15.05.2020 से इस कार्यालय को प्रेषित की है, जो कि निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	पालना रिपोर्ट
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन अर्थात् 2.76 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की हैं। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को 6 माह में आरक्षित/संरक्षित वनभूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि 2.76 है0 की एवज में प्राप्त गैर वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए निर्धारित मॉडल अनुसार राशि 2.76 है0 X 164100 प्रति है0 =452916/- रु. विल संख्या 10002 ( टी.वी. नं. 6894 व Transaction ID No RBI1061902111154 ) द्वारा ई-चालान राशि रु. 452916/- केम्पा फण्ड में दिनांक 16.04.19 को जमा करा दिये गये है। प्रति संलग्न है। प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली के पत्रांक एफ-11-42/2017/एफ.सी./दिनांक 29.01.2018 द्वारा गाईडलाईन के बिन्दु "बी" सार्वजनिक उपयोग के प्रकरण में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार इको क्लास III में खुले क्षेत्र का वन मानते हुए 1.50 है0 वनभूमि में बिना सक्षम स्वीकृति के यूजर ऐजेन्सी द्वारा गैर वानिकी कार्य करने पर एन.पी. वी. रु.626000/- प्रति है0 की दर की गणना से राशि 172150/- यूजर ऐजेन्सी के पत्रांक 442-446 दिनांक 9.05.2020 (फोटो प्रति संलग्न) द्वारा दिनांक 8.05.2020 को कॉर्पोरेशन बैंक नई दिल्ली में जमा करा दी गयी।

....P.T.O.

	जिला कलक्टर भीलवाडा के पत्रांक एफ. 39-7(1)/अ/आरए/2019/1646 दिनांक 3. 6.19 द्वारा ग्राम राजपुरा तहसील आसीन्द की आरक्षित गैर वन भूमि आराजी संख्या 874 रकवा 43.8376 है0 में से 6.86 है0 भूमि वन विभाग को आवंटन की गई है जिसमें इस प्रकरण की 2.76 है0 भूमि है। जिला कलक्टर भीलवाडा का संदर्भित पत्र व खाता नकल की प्रति संलग्न है।
3.	<p>(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई. ए. सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2007- एफसी दि. 5.2.09 के तहत में दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।</p> <p>(ख) इसके उपरांत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एनपीवी, सीए तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।</p> <p>(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में वढोतरी होती है तो वढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।</p>
	<p>(क) प्रत्यावर्तित वन भूमि 2.76 है0 हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार इको क्लास III में खुले क्षेत्र का वन मानते हुए रु. 626000/- प्रति हैक्टर की दर से राशि रु. 2.76 है0 X 626000 प्रति है0 = 1727760/- रु. एन.पी.वी. विल संख्या 1000 (टी.वी. नं. 6894 व Transaction ID No RBI1061902111154) द्वारा ई-चालान राशि रु. 1727760/- कैम्पा फण्ड में दिनांक 16.04.19 को जमा करा दिये गये है। प्रति संलग्न है।</p> <p>(ख) ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कराई गई धनराशि की ई-रसीद की छायाप्रति संलग्न है। जमा राशि का मदवार विवरण :- CA - 4,52,916/- PCA - 1,72,150/- NPV - 17,27,760/- कुल योग 23,52,826/-</p> <p>(ग) एन.पी.वी. की दरों में वढोतरी होने पर वढी हुई राशि भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।</p>
4.	<p>विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जावेगा। यह सीमांकन 4" फीट उंचे आरसीसी पिलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पिलर पर क्रमांक, डीजीपीएस निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती सीमा स्तम्भों से दूरी दर्शायी जाएगी।</p> <p>इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।</p>

5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मक डिस्पोजल योजना संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण यह सूनिश्चित करेगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालना करेगी।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।
8.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।

उक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों की पालना हो चुकी है। अतः प्राप्त पालना की दो प्रतियां (एक मूल एवं एक छायाप्रति) प्रेषित कर निवेदन है कि एक मूल प्रति भारत सरकार को अग्रेषित कर प्रकरण में वनभूमि प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति जारी करवाने का कष्ट करें।

संलग्न:- उक्तानुसार।

दो प्रतियां (एक मूल एवं एक छायाप्रति)

भवदीय,



(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक:

क्रमांक: एफ14( )2016/एफसीए/प्रमुवसं/

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर "एच", अलीगंज, लखनऊ-226024 (उ0प्र0)
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केम्पा), राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
4. उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा।
5. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, (वर्ल्ड बैंक) खण्ड--शाहपुरा (भीलवाड़ा)।

(पी. सी. कुमावत)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर  
क्रमांक एफ 11(40बी)एफसीए/मुवसअ/2017/ 5728 दिनांक 17/7/2019

निमित्त:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,  
राजस्थान-जयपुर।

विषय:- डायवर्जन ऑफ 2.76 है0 फॉरेस्ट लेण्ड इन फेवर ऑफ पी.डब्ल्यू.डी.  
पीएमजीएसवाई-डब्ल्यूबी. डिवीजन शाहपुरा (भीलवाडा-राजस्थान)फॉर  
कन्सट्रक्शन ऑफ एस.एच-29 टू लोरदा रोड अण्डर राजस्थान रोड सेक्टर  
मोडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय  
(मध्य)लखनऊ का पत्रांक 8 बी/राज./06/18/2018/553 दिनांक 27.12.  
2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु  
परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)लखनऊ का पत्रांक 8 बी/राज./06/18/2018/553  
दिनांक 27.12.2018 द्वारा जारी सशर्ताधीन सैदान्तिक स्वीकृति के क्रम में उप वन  
संरक्षक, भीलवाडा ने अपने पत्रांक 3477 दिनांक 02.05.2019 द्वारा बिन्दुवार पालना रिपोर्ट इस  
कार्यालय को भिजवायी गयी है। जिससे यह कार्यालय सहमत है। पालना रिपोर्ट आवश्यक  
कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अक्षय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक  
अजमेर।

क्रमांक सम/

दिनांक

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, भीलवाडा को उनके पत्रांक 3477 दिनांक 02.05.2019 के  
क्रम सूचनार्थ प्रेषित है।

इसके साथ पालना रिपोर्ट भी संलग्न है।  
अक्षय सिंह

(अक्षय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक  
अजमेर।

## कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाडा

क्रमांक:एफ-( )एफसीए/उवसं/3477

दिनांक 2-5-19

मुख्य वन संरक्षक,  
अजमेर।

विषय :-

Diversion of 2.76 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB Division Shahpura (Bhilwara, Rajasthan) for construction of SH-29 km. 139/500 to Lorda Road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP/RJ/ROAD/20888/2016

अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ पत्रांक प.8वी/राज/06/14/2018/एफ.सी./553 दिनांक 27.12.2018 (FP/RJ/ROAD/20888/2016)

F.C.A  
10/5  
8/16/19

प्रसंग  
2180  
13/5/19

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ के प.8वी/राज/06/14/2018/एफ.सी./553 दिनांक 27.12.2018 द्वारा द्वारा वांछित प्रकरण में 2.76 हैक्टर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रत्यावर्तन 36 वृक्षों के पातन की अनुमति की सशर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। यूजर एजेन्सी अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक)खण्ड शाहपुरा के पत्रांक 52-55 दिनांक 23.04.2018 से सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी जो निम्नानुसार प्रेषित है:-

1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा	स्वीकार है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.76 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि 2.76 हैक्टर की एवज में प्राप्त गैर वन भूमि वृक्षारोपण के लिए निर्धारित मॉडल अनुसार राशि 2.76 है. X 164100 प्रति है. = 452916/-रु. बिल संख्या 10001 (टी.वी. नं. 6894 व Transaction ID No RBI1061902111154) द्वारा ई-चालान राशि रु. 452916/- कैम्पा फण्ड में दिनांक 16.04.19 को जमा करा दिये गये है। प्रति संलग्न है। जिला कलक्टर भीलवाडा के पत्रांक एफ. 39-7(1)/आरए/2014/4873/3557 दिनांक 28.06.17 द्वारा रोड

पत्र 5728/17.7.19 (155/C)  
के साथ साथ पालना

		<p>एनओसी/आवंटन के संबंध में पत्र प्राप्त होने पर वन भूमि लेण्ड बैंक हेतु आरक्षित आराजीयात ग्राम राजपुरा पटवार क्षेत्र तिलोली तहसील आसीन्द खसरा संख्या 763, 874, 875 व 912 में से उतनी ही भूमि वन विभाग को आरक्षित कर दी जावेगी।</p> <p>जिला कलक्टर भीलवाडा का सन्दर्भित पत्र व खाता नकल की प्रति संलग्न है।</p>
3 (क)	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 556 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।</p>	<p>वनमण्डल में प्रत्यावर्तित वन भूमि 2.76 हैक्टर हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार इको क्लास III में खुली क्षेत्री का वन मानते हुए रु. 2.76 है. X 626000 प्रति है. = 1727760/- रु. एन.पी.वी. बिल संख्या 10001 (टी.वी. नं. 6894 व Transaction ID No RBI1061902111154) द्वारा ई-चालान राशि रु. 1727760/- कैम्पा फण्ड में दिनांक 16.04.19 को जमा करा दिये गये है। प्रति संलग्न है।</p>
3(ख)	<p>इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी. हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हों) प्रेषित की जाएं, तदोपरान्त की विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।</p>	<p>ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कराई गई धनराशि की ई-रसीद की छायाप्रति संलग्न है।</p>
3(ग)	<p>प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा</p>	<p>एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होने पर बढ़ी हुई राशि भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।</p>

	की जाएगी।	
3	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्त अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	प्रस्तावित वन क्षेत्र का 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पिल्लरो द्वारा सीमांकन कर दिया जावेगा एवं आवश्यक सूचना अंकित कर दी जावेगी। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	वचनबद्धता संलग्न है।
5	प्रयोक्त अभिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।	स्वीकार है। वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्त अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	स्वीकार है। वचनबद्धता संलग्न है।
7	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	स्वीकार है। वचनबद्धता संलग्न है।

संलग्न :- उक्तानुसार

भवेदीय,

( ज्ञानचन्द )

उप वन संरक्षक,  
भीलवाडा

क्रमांक ( ) एफसीए/उवस/

दिनांक

प्रतिलिपि अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राज. जयपुर।

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियंता, आर.आर.एस.एम.पी.योजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहपुरा जिला भीलवाडा।

( ज्ञानचन्द )

उप वन संरक्षक,  
भीलवाडा

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर  
क्रमांक एफ 11(39,बी)एफसीए/मुवसअ/2017/ 2115 दिनांक 15/5/20

निमित्त:-  
अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,  
राजस्थान-जयपुर।

विषय:-Construction of SH-29 KM 139/500 to Lorda road  
under Rajasthan Road Sector Modernization Project  
FP / RJ/Road/20888/2018 (2.76)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14( )2016/एफसीए/प्रमुवसं/4493 दिनांक 17.1.2019  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आपके संदर्भित के क्रम में Construction of SH-29  
KM 139/500 to Lorda road under Rajasthan Road Sector Modernization  
Project FP / RJ/Road/20888/2018 (2.76) प्रकरण में उप वन संरक्षक भीलवाडा ने अपने  
पत्रांक 2489 दिनांक 12.5.2019 द्वारा बिन्दुवार पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवायी गयी है।  
जो संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजेश कुमार जैन)  
मुख्य वन संरक्षक,  
अजमेर

क्रमांक सम/ 2116

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, भीलवाडा को उनके पत्रांक 2489 दिनांक 12.5.2019 के क्रम में  
सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक 15/5/20

(राजेश कुमार जैन)  
मुख्य वन संरक्षक,  
अजमेर

कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाडा

क्रमांक:एफ-( )एफसीए/उवसं/

2489

दिनांक 12/5/2020

श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक,  
अजमेर।

विषय :- 1- Diversion of 2.76 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB  
Division Shahpura (Bhilwara, Rajasthan) for construction of SH-29 km.  
139/500 to Lorda Road under Rajasthan Road Sector Modernization  
Project FP/RJ/ROAD/20888/2016

नहोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पं. 8वीं/राज/06/14/2018/एफ.सी./553 दिनांक 27.12.2018 द्वारा 2.76 हैक्टर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रत्यावर्तन की सशर्तधिन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है।

यूजर एजेन्सी अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा के पत्रांक 52 दिनांक 23.04.2018 से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित पालना रिपोर्ट इस कार्यालय के पं. क्रमांक 3477 दि. 2.5.19 द्वारा अप्रेषित की जा चुकी है।

प्रकरण में बिना स्वीकृति गैर वानिकी कार्य होने के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली के पत्रांक एफ-11-42/2017/एफ.सी./ दि. 29.01.2018 द्वारा जारी गाईडलाइन के विन्दु "बी" के अनुसार अनुपालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

1. यूजर एजेन्सी एक राजकीय विभाग है।
2. प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली के पत्रांक एफ-11-42/2017/एफ.सी./ दि. 29.01.2018 द्वारा गाईडलाइन के विन्दु "बी" सार्वजनिक उपयोग के प्रकरण में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार इको क्लास III में खुली क्षेत्री का वन मानते हुए एन.पी.वी. रु. 626000/- प्रति हैक्टर की दर की गणना से राशि 172150/- रु. कारपोरेशन बैंक, नई दिल्ली के नवीन लेखा राजस्थान केम्पाफण्ड खाता में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा कराने का मांग पत्र इस कार्यालय के पं. 1798-1802 दि. 18.3.2020 द्वारा जारी किया गया।

अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा के पत्रांक 442-446 दिनांक 9.5.2020 फोटो प्रति रॉलमन द्वारा दिनांक 8.5.2020 को चालान सं. 6120888014 के द्वारा राशि रु. 172150/- केम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है।

कृ.प.उ.....

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

3. वांछित प्रकरण में बिना राक्षम स्तर पर स्वीकृति के वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य करने बावत् इस कार्यालय के पं. 8241-44 दि. 22.10.19 द्वारा सहायक वन संरक्षक, माण्डलगढ को जॉच अधिकारी नियुक्त कर जॉच रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु लिखा गया। सहायक वन संरक्षक, माण्डलगढ द्वारा पं. 6 दि. 19.2.2020 द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित कर गाह मई 2019 पश्चात् 1.50 हैक्टर वन भूमि में बिना राक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य होने की रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

बिना स्वीकृति गैर वानिकी कार्य कराने के संबंध में श्री प्रकाश चन्द शर्मा, वनपाल विजौलिया को राजकार्य में लापरवाही बरतने के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

इसी प्रकार अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा के पत्रांक 360 दिनांक 6.2.2020 द्वारा श्री आलोक शर्मा अधिशाषी अभियंता एवं पत्रांक 362 दि. 6.2.20 द्वारा श्री हरि सिंह बैलदार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

4. बिना स्वीकृति गैर वानिकी कार्य हेतु लीला शंकर पिता नारायण जी गुर्जर नि. भावपुरा भैसरोडगढ जिला रावतभाटा के विरुद्ध एफ.आई.आर. 80/22 दि. 6.10.2019 दर्ज की जाकर रसीद सं. 28/30 दि. 14.2.20 राशि 21000/- जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराया जा चुका है।

कृपया वांछित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट अग्रेषित करने का कष्ट करावे ताकि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी करवाई जा सके।

संलग्न:-उक्तानुसार

भवदीय,

( डी.पी.जागावत )  
उप वन संरक्षक,  
भीलवाडा

क्रमांक:एफ-( )एफसीए/उवसं/ 2490-91

दिनांक 12/5/2020

प्रतिलिपि अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राज.

जयपुर ।

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियंता, आर.आर.एस.एम.पी.योजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग  
खण्ड शाहपुरा जिला भीलवाडा ।

( डी.पी.जागावत )  
उप वन संरक्षक,  
भीलवाडा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. पीएमजीएसवाई (वर्ल्ड बैंक)

खण्ड-शाहपुरा

क्रमांक : 442-446

दिनांक : 09.05.2020

श्रीमान उपवन संरक्षक  
भीलवाड़ा


विषय : Diversion of 2.76 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB division Shahpura (Bhilwara, Rajasthan) for construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP/RJ/ROAD/20888/2016.  
प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक एफसीए/उचसं/1798 दिनांक 18.3.2020 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र क्रमांक प.8 वी/राज./06/14/2018 / एफ.सी./553 दिनांक 27.12.2018 द्वारा वांछित प्रकरण में 2.76 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैरव्यवहार प्रयोग हेतु प्रत्यावर्तन एवं 36 वृक्षों के पातन की सर्वाधिकार सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी।

उक्त संबंध में आपके प्रासंगिक पत्र की अनुपालना में दिनांक 08.05.2020 को चालान संख्या 6120888014 के द्वारा राशि 172150/- रुपये राजस्थान कैम्पा फण्ड में जमा करावा दी गई है। पत्र के साथ चालान की कॉपी संलग्न है। कृपया उक्त प्रकरण को निस्तारित करते हुए कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करावे।  
धन्यवाद।


भवदीय

  
(हुकमचन्द मीणा)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सानिवि पीएमजीएसवाई (वर्ल्ड बैंक)  
खण्ड - शाहपुरा।  
दिनांक : 09.05.2020

क्रमांक : 442-446

प्रतिलिपी :

1. श्रीमान मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई) को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक, (प्रोटेक्शन) अरण्य भवन, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमान अति. मुख्य अभियन्ता सानिवि संभाग अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमान अधिक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत्त, भीलवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

  
अधिशाषी अभियन्ता  
सानिवि पीएमजीएसवाई (वर्ल्ड बैंक)  
खण्ड - शाहपुरा।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 08-05-2020

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN JAIPUR
Application No.	G120888014
MoEF/SG File No.	RR/RAJ/06/14/2018
Location.	RAJASTHAN
Address.	Executive Engineer PWD PMGSY-WB Dn. ShahpuraDhillwara
Amount(In Rs)	172150/-

Amount in Words : One Lakh Seventy-Two Thousand One Hundred and Fifty Rupees Only


NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856120888014 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may  
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

2.76



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



**कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक) खण्ड  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)**

क्रमांक/ 18-19/

दिनांक

उपवन संरक्षक,  
वन विभाग, भीलवाड़ा,

विषय :- Diversion of 2.76 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB Division Shahpura (Bhilwara) for Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP/RAJ/ROAD/20888/2018 की द्वितीय एवं पूर्ण स्वीकृति हेतु।

महोदय,

अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उपरोक्त विषयान्तर्गत जारी सैधान्तिक स्वीकृति पत्रांक प.8बी/राज/06/14/2018/एफ.सी./553 दिनांक 27.12.2018 की अनुपालना बिंदुवार निम्नानुसार प्रेषित है :-

1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा	शर्त संख्या 1 के तहत वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.76 हे. पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।  उक्त भूमि वन विभाग के स्वागित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 2 की अनुपालना में आपके कार्यालय से क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष रखरखाव हेतु डिमाण्ड राशि व नोट प्राप्त कर इस कार्यालय द्वारा अपनी बिल संख्या 10001 (टी.वी. नं. 6894 व Transaction ID No RBI1061902111154) द्वारा ई-चालान राशि रु. 452916/- कैम्पा फण्ड में दिनांक 16.04.19 को जमा करा दिये गये हैं। प्रति संलग्न है।  जिला कलक्टर भीलवाड़ा के पत्रांक एफ. 39-7(1)/आरए/2014/4873/3557 दिनांक 28.06.17 द्वारा आदेशित किया गया है कि जारी एफआरए प्रमाण पत्र की वन भूमि की स्वीकृति वन विभाग द्वारा रोड एनओसी/आवंटन के संबंध में पत्र प्राप्त होने पर वन भूमि लेण्ड बैंक हेतु आरक्षित आराजीयात ग्राम राजपुरा पटवार क्षेत्र तिलोली तहसील आसीन्द खसररा संख्या 763, 874, 875 व 912 में से उतनी ही भूमि वन विभाग को आरक्षित कर दी जावेगी। जिला कलक्टर भीलवाड़ा का सन्दर्भित पत्र व खाता नकल की प्रति संलग्न है।
3 (क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मानीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 556 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 3 की अनुपालना में आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि इस कार्यालय द्वारा अपनी बिल संख्या 10001 (टी.वी. नं. 6894 व Transaction ID No RBI1061902111154) द्वारा ई-चालान राशि रु. 1727760/- कैम्पा फण्ड में दिनांक 16.04.19 को जमा करा दिये गये हैं। प्रति संलग्न है।
3 (ख)	इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैधान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, एन.पी.वी. हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाएं, तदोपरान्त की विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कराई गई धनराशि की ई-रसीद की छायाप्रति संलग्न है।

3(ग)	प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढी हुई राशि भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्त अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त संख्या 3 के अनुसार प्रस्तावित वन क्षेत्र का 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पिल्लरो द्वारा सीमांकन कर दिया जावेगा एवं आवश्यक सूचना अंकित कर दी जावेगी। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 4 के अनुसार मक डिस्पोजल योजना बनाकर उपवन संरक्षक से स्वीकृत कराकर सक्षम अधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5	प्रयोक्त अभिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।	प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
6	प्रयोक्त अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	यह विभाग एवं राज्य सरकार वर्तमान व भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगे।
7	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दुओं की अनुपालना आपके माध्यम से प्रस्तुत की जा रही कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

अतः आपसे निवेदन है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य की विधिवत स्वीकृति जारी करने की कृपा करावें।

संलग्न :- उक्तानुसार



(अरुण कुमार शर्मा)

अधिशायी अभियन्ता

सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई (वर्ल्ड बैंक)

खण्ड शाहपुरा (भीलवाडा)

दिनांक 23/04/19

क्रमांक / 18-19 / 52-55

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पी.एम.जी.एस.वाई.) सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. सम्भाग अजमेर
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत्त भीलवाडा।



(अरुण कुमार शर्मा)

अधिशायी अभियन्ता

सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई (वर्ल्ड बैंक)

खण्ड शाहपुरा (भीलवाडा)


राजस्थान संरकार  
कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा  
क्रमांक एफ.39-7(1)(सेअ)/आरए/2019/1646 दिनांक 07.06.2019

: आदेश :

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 39-7(1) (सेअ)/आरए/2014/1335 दिनांक 22.09.2015 से ग्राम राजपुरा ग्राम पंचायत तिलोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 763 रकबा 2.15 हैक्टर, आ0न0 874 रकबा 45.77 हैक्टर, आ0न0 875 रकबा 5.59 हैक्टर, आ0न0 912 रकबा 15.85 हैक्टर कुल कीता 4 कुल रकबा 69.36 हैक्टर वन विभाग हेतु वन भूमि लैण्ड बैंक हेतु लैण्ड बैंक की स्थापना हेतु वन भूमि आरक्षित की गई।


अधिशायी अभियन्ता सा.नि.वि. पी.एमजीएसवाई (वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के पत्रांक 36 एवं 37 दिनांक 07.06.2018 के अनुसार बिजौलिया खुर्द से छतरीखेडा वाया मानगढ हेतु कुल रकबा 4.1 हैक्टर एवं एस. एच-29 से लोरदा हेतु कुल रकबा 2.76 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु जारी एफ. आर.ए. प्रमाण पत्र दिनांक 03.07.2018 के संदर्भ में अधिशायी अभियन्ता सा.नि.वि. के पत्रांक 20.05.2019 एवं उप वन संरक्षक भीलवाड़ा के पत्रांक 3786 दिनांक 22.05. 2019 के अनुसार उक्त वन भूमि के बदले ग्राम राजपुरा में आरक्षित वन भूमि लैण्ड बैंक में से भूमि दिये जाने बाबत निवेदन किया गया है।


अतः ग्राम राजपुरा तहसील आसीन्द की आरक्षित वन भूमि आराजी नम्बर 874 रकबा 43.8376 हैक्टर में से 4.1 हैक्टर एवं 2.76 हैक्टर कुल रकबा 6.86 हैक्टर भूमि वन विभाग को आवंटन की जाती है।

  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1-उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द
- 2-उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा
- 3-तहसीलदार, आसीन्द
- 4-पटवारी हल्का तिलोली
- 5-रक्षित पत्रावली

  
(डी.पी. जागावत)  
उप वन संरक्षक  
भीलवाड़ा

  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

6/4/2019

apnakhata.raj.nic.in/Owner\_wise/Edharti\_A4\_Nakal\_village.aspx?villlink=6F15C41A2166D99B&amp;khala=9728C0A22C997000&amp;purpose=प्रपत्र पी-26 (वी)



## जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- राजपुरा  
पटवार हल्का :- तिलोली  
भू.अभि.नि. :- लाछुडा  
तहसील :- आसीन्द  
जिला :- भीलवाड़ा

सम्बत :- 2074 - 2077  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टयर  
खाता संख्या नया :- 211  
खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग हेतु वन भूमि लैण्ड बैंक हेतु आरक्षित हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृपक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1186/874	28.8541	बंजड़	28.8541	28.85	स्वीकृत शुद्धिपत्र : 1 03/06/2019 शुद्धिपत्र	
763	2.1500	बीड	2.1500	5.38	स्वीकृत नामान्तरकरण : 832 03/06/2019 आवंटन	
875	5.5900	बंजड़	5.5900	5.59		
912	15.8500	बंजड़	15.8500	15.85		
कुल खसरे - 4	52.4441		52.4441	55.6700		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जागरूकी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 4-Jun-2019



P-35 प्रपत्र नं. (176) पर 4 जून

11/11  
04/06/19  
य. तिलोली

(डी.पी. जागावत)  
उप वन संरक्षक  
भीलवाड़ा



apnakhata.raj.nic.in/Owner\_wise/Edharti\_A4\_Nakal\_village.aspx?villink=6F15C41A2166D99B&khala=497F1F2008B908AF&purpose: प्रपत्र पी-26 (वी)  
(देखिये नियम 153 ए)

## जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- राजपुरा  
पटवार हल्का :- तिलोली  
भू.अभि.नि. :- लाछुडा  
तहसील :- आसीन्द  
जिला :- भीलवाड़ा

सम्बत :- 2074 - 2077  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 254  
खाता संख्या पुराना :- 211

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृपक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तर्गण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1185/874	6.8600	बंजड़ 6.8600	6.86		स्वीकृत नामान्तरकरण : 832 03/06/2019 आवंटन	
कुल खसरे - 1	6.8600	6.8600	6.8600			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 3-Jun-2019



p.35 खसरा सं. (176) 42 4/19

2019  
04/06/19  
प. तिलोली

(डी.पी. जागावल)  
उप वन संरक्षक  
भीलवाड़ा

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (वी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- राजपुरा  
पटवार हल्का :- तिलोली  
भू.अभि.नि. :- लाछुडा  
तहसील :- आसीन्द  
जिला :- भीलवाड़ा

सम्बत :- 2074 - 2077  
भूमि धारक का नाम :- राज.गरवारा  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टर  
खाना गंख्या नया :- 210  
खाना गंख्या पुराना :- 246

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग हिस्सा- पूर्ण (खोतेदार) (हांडल) के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृपक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण गंख्या व दिनांक	टिप्पणी
1180/874	1.9324	बंजड़	1.9324	1.93		
1182/874	4.6711	बंजड़	4.6711	4.67		
1183/874	1.9324	बंजड़	1.9324	1.93		
1184/874	1.5200	बंजड़	1.5200	1.52		
कुल खसरे - 4	10.0559		10.0559	10.0500		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 3-Jun-2019



P-35 हांडल स. (176) पर 4/1/19

4/1/19  
05/06/19  
प्रतिलिपि

(डी.पी. जागावत)  
उप वन संरक्षक  
भीलवाड़ा

जम्मा क्षेत्र

ज.प. - रावपुरा  
ख.म. - तिलोली  
त. - आसीन  
स. - 1cm = 40m



P-35 ककड स. (176) पर सी।

2/11/19  
09/02/19  
त. तिलोली

(डी.पी. जागावत)  
उप वन संरक्षक  
भीलवाड़ा



कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा

क्रमांक: एफ-( ) एफसीए/उवसं/

दिनांक

श्रीमान् अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए, राज. जयपुर ।

- विषय :-
- (1) Construction of Bijoliya Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP/RJ/ROAD/20893/2016 and
  - (2) Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP/RJ/ROAD/20888/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विषयांकित उपरोक्त दोनों सड़कों में प्रयोग की जाने वाली वन भूमि के विरुद्ध आवंटित गैर वन भूमि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के पत्रांक एफ-39-7(1)(सेअ)आरए/2019/ 1646 दिनांक 3.6.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा वन विभाग को ग्राम राजपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा में वन विभाग के लिये आरक्षित की गयी भूमि बैंक में से उपलब्ध करायी जाकर विभाग द्वारा अपने अधिकार में ले ली गई है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश उपरांत भूमि का अंमल दरामद दि. 4.6.2019 को वन विभाग के पक्ष में हो गया है।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश एवं जमाबन्दी की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(ज्ञानचन्द)

उप वन संरक्षक  
भीलवाड़ा

दिनांक 22/7/16

क्रमांक: एफ-( ) एफसीए/उवसं/ 5857

प्रतिलिपि अधिशाधी अभियन्ता सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई (वर्ल्ड बैंक) खण्डु शाहपुरा  
(भीलवाड़ा)।

(ज्ञानचन्द)

उप वन संरक्षक  
भीलवाड़ा

## NEFT RTGS CHALLAN

## AGENCY COPY

## NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 12-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN JAIPUR
Application No.	6120888508
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/14/2018
Location.	RAJASTHAN
Address.	Executive Engineer PWD PMGSY-WB Dn. ShahpuraBhilwara
Amount(In Rs)	2180676/-

Amount In Words :Twenty-One Lakh Eighty Thousand Six  
Hundred and Seventy-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following  
details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856120888508 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making  
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven  
days.

## BANK COPY

## NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 12-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN JAIPUR
Application No.	6120888508
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/14/2018
Location.	RAJASTHAN
Address:	Executive Engineer PWD PMGSY-WB Dn. Shahpura Bhilwara
Amount(In Rs)	2180676/-

Amount In Words :Twenty-One Lakh Eighty Thousand Six  
Hundred and Seventy-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following  
details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856120888508 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making  
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven  
days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through  
Email: [helpdeskcampa@corpbank.co.in](mailto:helpdeskcampa@corpbank.co.in)

Print

Back

T. V. No. 6894

16/4/19

105  
748

13:23:74127

Government Of Rajasthan  
Voucher/Order Sheet

Month/Year : Apr/2019  
Office ID : 32401

Linked Voucher No. EXECUTIVE ENGINEER, P.W.D., PMGSY WORLD BANK SHAHPURA (BHILWARA) 32401		Reference No. : 1705300	Warm Reference No. : #1/1 of 19
Bill for Works Payment - WAM Payment		Division Code : 105	Bill No. : 10001
Division Name : PWD PMGSY Dd SHAHPURA		Demand No. : 21	DDCode : 32401
Date : 15/4/2019		Object head : 21	Budget Head : 3054-04-800-02-01/SFW
TAN : JCHEU1003C		NonPlan : 0.00	NA : 0.00
SF : 2180676.00			

To The Treasury/Suo Treasury Officer, SHAHPURA  
Please Order to pay ₹ 2180676 as per the claim contained in this bill  
Sign of Clerk

Sign of DA  
अधिसायी अभियन्ता

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the same parties/firm details mentioned in warm bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limites of online allotted budget/LC

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign Of DDO with Seal/Sign/Digital Sign of DDO  
9571658197

Sl. No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No IFSC Code Branch Name	Invoice No Invoice Date Case Of Supplier	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Detail
	Corporation Bank Lodhi Complex branch Block 11 CGO Complex Phase I Lodhi road New Delhi 110002 9571658197	CORPORATION BANK 150856120888508 CORP0000371 Lodhi Road, New Delhi	1705300 1/1/1901 100000 AM	2180676.00 2180676.00	1705300 नं. 32401	

Gross Amount Rs. 2180676.00      B.T. Amount Rs.      Net Amount Rs. 2180676.00  
Amount in Words : TWENTY ONE LAKH EIGHTY THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTY SIX ONLY

Sign Of DDO with Seal/Sign/Digital Sign of DDO  
अधिसायी अभियन्ता

For Accountant General Office

<p>Admitted ₹ Objected ₹</p> <p>Auditor      Supst      Gaz. Officer</p>	<p style="text-align: center;">Treasury Voucher</p> <p>No.      Date</p> <p>Pay ₹      2180676.00      पी.एम.जे. बैंक</p> <p>(In Words)      TWENTY ONE LAKH EIGHTY THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTY SIX ONLY      कोड नं. 32401</p> <p>BT Invoice      Amount</p> <p>Head</p> <p>Total (in Cash) ₹ : 2180676.00 (In Words) : TWENTY ONE LAKH EIGHTY THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTY SIX ONLY</p> <p>Auditor      AAO-III      Treasury/Sub Treasury Officer</p>
--	---

T.V. No. 6894  
15/4/19

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
Public Works Department, Jaipur

Reference No.:

10001  
17053

Bill No. &amp; Date:

BillRef No.: 10001, Dated: 15/04/2019

Division Name: EXECUTIVE ENGINEER, P.W.D., PMGSY WORLD BANK SHAHPURA (BHILWARA), Division Code: 32401

Sub Division Code:

## HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF &amp; A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: SH-29 (km 139/500) to Lorda (Campa Fund)

Vendor Name: Corporation Bank

Sanction/Autorization/BillNo: 1 Dated: 15/04/2019

Budget Head: 3054-04-800-02-01-21-V-P Reason:

Bank Details: AccountNo.- 150856120888508, IFSC Code: CORP0000371

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 21,80,676 (In Words):Rupees Twenty One Lakh Eighty Thousand Six Hundreds Seventy Six Only

Deductions/Recoveries:

SNo.	Head Code	Head Detail	Amount
Net Amount Payable In Figures: 21,80,676 (In Words):Rupees Twenty One Lakh Eighty Thousand Six Hundreds Seventy Six Only			

Received from .....sum of Rs.....(Rupees.....) on account of (Work Name)..../purpose

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

For use in Divisional Office

Signature of DA with seal


Signature of DA with seal  
जयपुर  
ना. वि.  
कॉर्पोरेशन बैंक  
ब्रांच - शाहपुरा (भीलवाड़ा)  
कोड नं 32401



**Performa for verification of Deposits in CAMPA funds**  
**(Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda road under Rajasthan Road Sector**  
**Modernizatin Project FP/RJ/ROAD/20888/2018)**

Sl. No.	Description	Compliance
1.	Name of Regional Office	Ajmer
2	State/District/Forest Division to which the Proposal relates	Rajasthan/Bhilwara/ Bhilwara
3	Name of User Agency, Nature of Proposal	PWD PMGSY-WB Division Shahpura <i>Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda road under Rajasthan Road Sector Modernizatin Project</i>
4	Extent of Forest area involved	2.76 Ha.
5.	Whether original or extension	Original
6.	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional Forest area and if so, specify	No
7.	Date of 1 <sup>st</sup> stage clearance	8बी / राज / 06 / 14 / 2018 / एफसी / 553 दि. 27.12.2018
8.	Extent of CAMPA charges, head wise viz.	
(a)	Compensatory Afforestation	2.76 Ha.@ 164100= 452916/- deposited in Dated 16-04-2019 Campa Fund
(b)	Additional CA	NA
(c)	Penal C.A	1.50 Ha.@ (939000X11/12X0.2)=172150 deposited in Dated 8-5-2020 Campa Fund
(d)	Catchment area Treatment	NA
(e)	Wild life Management Plan	NA
(f)	Additional charges for diversion of area falling under notified/protected areas	NA
(g)	Net Present value	2.76 Ha @Rs 626000 = Rs 1727760 /-
(h)	Any other charges Levies (please specify)	NA

9.	Details of Bank Draft (Bank, Draft No. Date & Amount) head wise against items indicated in Paragraph 9 above	NA
10.	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance:	<p>amount 452916 /- deposited by user aghsy in State CAMPA Account Corporation Bank, Block No. 11 Ground Floor, CGO complex Phase-1, Lodhi Road New Delhi-110003 through RTGS Challan बिल संख्या 10001 (टी.वी. नं. 6894 व Transaction ID No RBI1061902111154) deposited in Dated 16-04-2019 Campa Fund.</p> <p>amount 1727760 /- deposited by user aghsy in State CAMPA Account Corporation Bank, Block No. 11 Ground Floor, CGO complex Phase-1, Lodhi Road New Delhi-110003 through RTGS बिल संख्या 10001. (टी.वी. नं. 6894 व Transaction ID No. RBI1061902111154) deposited in Dated 16-04-2019 Campa Fund.</p> <p>Amount 172150/- deposited by user aghsy in State CAMPA Account Corporation Bank, Block No. 11 Ground Floor, CGO complex Phase-1, Lodhi Road New Delhi-110003 through through RTGS Challan No. 6120888014 dt. 8-5-20. Campa Fund .</p> <p><b>Total amount 2352826 /- deposited in State CAMPA Account .</b></p>
11.	Bank (Corporation Bank, Lodhi Complex/Union Bank of India, Sunder Nagar) in which deposited, with date of deposition.	-
12.	Any other remarks	-

  
**(D.P.JAGAWAT)**  
 Dy.Conservator of forest,  
 Bhilwara

### Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

**To be Verified**

: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

**Verified**

: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

**Challan Generated**

: This icon shows that the challan has been generated.

**Unpaid**

: This icon shows that the payment yet to be made.

**Paid**

: This icon shows that the payment has been made.

Proposals received on or after 15th July 2014  All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Lucknow

Select State : Rajasthan

Select User Agency : Select

Payment Status:

Paid  Unpaid  All

Online Help/Query

Bank Name : -Select All-

Mode of Payment : -Select All-

Transaction Date (From) :

Transaction Date (To) :


Enter value for Search : 20888

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/ROAD/20888/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/20888/2016)  Construction BT road from SH-29 (Km. 139/500) to Lorda Road under RRSMP funded by the World Bank	ROAD208882016014	27 Dec 2018	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 172150/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 0/-, Total : 172150/-	<input checked="" type="radio"/> Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 19 Mar 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 08 May 2020 Transaction Date : 08 May 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3111912261212DET31Lorda.pdf)  Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD208882016014)
2	FP/RJ/ROAD/20888/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/20888/2016)  Construction BT road from SH-29 (Km. 139/500) to Lorda Road under RRSMP funded by the World Bank	ROAD208882016508	27 Dec 2018	CA: 452916/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1727760/- Total : 2180676/-	<input checked="" type="radio"/> Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 24 Jan 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 12 Apr 2019 Transaction Date : 16 Apr 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1111612491217K15YZDEMANDNOTE.pdf)  Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD208882016508)

forestsclearance.nic.in/Admin/searchbybank.aspx


*(Signature)*  
(P.C. KUMAWAT)  
DCF (FCA)  
JAIPUR



© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.  
Terms & Conditions (<https://parivesh.nic.in/TermsandConditions.aspx>) | Privacy Policy (<https://parivesh.nic.in/Privacypolicy.aspx>) | Copyright Policy (<https://parivesh.nic.in/CopyrightPolicy.aspx>) | Hyperlinking Policy (<https://parivesh.nic.in/HyperlinkingPolicy.aspx>) | Accessibility Statement (<https://parivesh.nic.in/Accessibilitystatement.aspx>) | Disclaimer (<https://parivesh.nic.in/Disclaimer.aspx>) | Contact Us (<https://parivesh.nic.in/contact.aspx>)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

  
(P.C. KUMAWAT)  
DCF (FCA)  
JAIPUR

Online Help/Query 



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक) खण्ड  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

क्रमांक / 18-19 /

दिनांक

**Condition No. 1**

Full Title of the Project – Diversion of 2.76 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB Division Shahpura (Bhilwara) for Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda road under Rajasthan Road Sector Modernization Project


File No: - FP/RAJ/ROAD/20888/2018


वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा की वचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) द्वारा Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) वचनबद्ध है।

स्थान :- शाहपुरा (भीलवाड़ा)

दिनांक :-

  
(जगन्नान्द)  
उप वन संरक्षक  
भीलवाड़ा

  
(अरुण कुमार शर्मा)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई (वर्ल्ड  
बैंक) खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक) खण्ड  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

क्रमांक / 18-19 /

दिनांक

**Condition No. 2**

Full Title of the Project – Diversion of 2.76 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB Division Shahpura (Bhilwara) for Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda road under Rajasthan Road Sector Modernization Project


File No: - FP/RAJ/ROAD/20888/2018

भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है, इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की वचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) द्वारा Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda के दौरान जो भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है, इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने के छः माह की अवधि के अन्दर कर दिया जायेगा। इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) वचनबद्ध है।

स्थान :- शाहपुरा (भीलवाड़ा)

  
(शलचन्द)  
उप वन संरक्षक  
भीलवाड़ा

  
(अरुण कुमार शर्मा)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई  
(वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा  
(भीलवाड़ा)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक) खण्ड  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

क्रमांक / 18-19 /

दिनांक

**Condition No. 3(ग)**

Full Title of the Project – Diversion of 2.76 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB Division Shahpura (Bhilwara) for Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda road under Rajasthan Road Sector Modernization Project

File No: - FP/RAJ/ROAD/20888/2018


सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी, इस हेतु वचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) द्वारा Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda के दौरान सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी। इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) वचनबद्ध है।

स्थान :- शाहपुरा (भीलवाड़ा)

दिनांक :-

  
(जगमोहन)  
उप वन संरक्षक  
भीलवाड़ा

  
(अरुण कुमार शर्मा)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई (वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक) खण्ड  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

क्रमांक / 18-19 /

दिनांक

Condition No. 37

Full Title of the Project – Diversion of 2.76 Ha. of forest land in favour of PWD  
PMGSY-WB Division Shahpura (Bhilwara) for Construction of  
SH-29 Km 139/500 to Lorda road under Rajasthan Road Sector  
Modernization Project

File No: - FP/RAJ/ROAD/20888/2018

वचनपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) द्वारा Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda के दौरान विधिवत स्वीकृति बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्त अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4" फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जायेगा। जिसमे प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरो से दूरी दर्शायी जाएगी। इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) वचनबद्ध है।

स्थान :- शाहपुरा (भीलवाड़ा)

दिनांक :-

(ज्ञानचन्द)  
उप वन संरक्षक  
भीलवाड़ा

(अरुण कुमार शर्मा)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई (वर्ल्ड  
बैंक) खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)

**OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, PWD (PMGSY-WB), DN. SHAHPURA**

Name of Project :- Construction of Bituminous Road of SH-39 From Km. 139/500 to Lorda under RRSMP funded by the World Bank.

**MUCK DUMPING PROPOSAL**

Condition No. 5


It is to certify that in the proposed project there is no need of Muck Dumping location, Because the project road does not involve any cutting location/streches for construction of Bituminous Road of SH-39 From Km. 139/500 to Lorda under RRSMP funded by the World Bank in the State of Rajasthan. As such there is no cutting involved, so no muck will be genretad.

Dated: 29.05.2020

Place : Shahpura



(H.C. Meena)  
Executive Engineer  
PWD PMGSY-WB  
Dn. Shahpura (Bhilwara)

  
(डी.पी. जागावत)  
उप वन संरक्षक  
भीलवाड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक) खण्ड  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

क्रमांक / 18-19 /

दिनांक

Condition No. 6

Full Title of the Project – Diversion of 2.76 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB Division Shahpura (Bhilwara) for Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda road under Rajasthan Road Sector Modernization Project

File No: - FP/RAJ/ROAD/20888/2018

प्रकरण मे विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन  
नही किया जाएगा, इस हेतु वचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) द्वारा Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda के दौरान प्रकरण मे विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया जाएगा, इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) वचनबद्ध है।

स्थान :- शाहपुरा (भीलवाड़ा)

दिनांक :-

(ज्ञानचन्द)  
उप वन संरक्षक  
भीलवाड़ा

(अरुण कुमार शर्मा)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई (वर्ल्ड  
बैंक) खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक) खण्ड  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

क्रमांक / 18-19 /

दिनांक

**Condition No. 9**

Full Title of the Project – Diversion of 2.76 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB Division Shahpura (Bhilwara) for Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda road under Rajasthan Road Sector Modernization Project

File No: - FP/RAJ/ROAD/20888/2018


प्रयोक्त अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन की वचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) द्वारा Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda के दौरान प्रयोक्त अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा। इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) वचनबद्ध है।

स्थान :- शाहपुरा (भीलवाड़ा)

दिनांक :-

  
(जगन् चन्द्र)  
उप वन संरक्षक  
भीलवाड़ा

  
(अरुण कुमार शर्मा)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई (वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)

कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा

क्रमांक: एफ-( ) एफसीए/उवसं/ 2666


दिनांक 29/5/20

प्रकरण सं. Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP/RJ/ROAD/20888/2016

भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के बिन्दु सं. 3 'बी' की पालना में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP/RJ/ROAD/20888/2016 प्रत्यावर्तित वन भूमि 2.76 है. में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति/कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही 1.50 है. वन भूमि में सड़क निर्माण कार्य किया गया है।

बिना सक्षम स्तर स्वीकृति वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य करने बाबत यूजर एजेन्सी अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा द्वारा प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली के पत्रांक एफ- 11-42 /2017 /एफ.सी./ दि. 29.01.2018 द्वारा जारी परिपत्र के बिन्दु संख्या 3 "बी" के अनुसार चालान सं. 6120888014 के द्वारा राशि रु. 172150/-कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है तथा बिना स्वीकृति गैर वानिकी कार्य हेतु लीला शंकर पिता नारायण जी गुर्जर नि. भावपुरा भैसरोडगढ जिला रावतभाटा के विरुद्ध एफ.आई.आर. 80/22 दि. 6.10.2019 दर्ज की जाकर रसीद सं. 28/30 दि. 14.2.20 राशि 21000/- जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराया जा चुका है।

  
(डी.पी.जागावत)  
उप वन संरक्षक  
भीलवाड़ा